

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 9 अप्रैल, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उनके सेवानैवृत्तिक लाभ यथासमय प्रदान नहीं किये जा रहें हैं, जिसके कारण सम्बन्धित अधिकारी अथवा उनके आश्रितों द्वारा अनावश्यक रूप से पत्र मुख्यालय उपलब्ध कराये जाते हैं, जबकी उक्त कार्यवाही आपके जोन स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व ही उनके अभिलेखों का यथावश्यक परीक्षण करा लिया जाय। यदि उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व ही नियमानुसार निराकरण करा लिया जाए। ताकि अधिकारियों के सेवानैवृत्ति लाभ यथासमय दिये जा सकें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4/2/21
L
7/2/21

80

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज, उ०प्र०।
- 2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ, उ०प्र०।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर, (उच्च न्यायालय कार्य), वाणिज्य कर लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कमिश्नर(कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

193

09-04-21

(डी० के० सेचान)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना),
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।